

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन



क्रमांक/गोपनीय/2017/ 2051

दिनांक : 31-1-17

प्रति,

1. अध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालायें,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
2. प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।

विषय:-


विभिन्न परीक्षाओं एवं मौखिकी हेतु शिक्षकों द्वारा अपने निजी वाहन से यात्रा की अनुमति की स्वीकृति लेने बाबत ।

महोदय,

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के वित्त नियंत्रक एवं अंकेक्षण द्वारा ली गई आपत्ति के संदर्भ में विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र एवं विश्वविद्यालय के बाहर आगत शिक्षकों द्वारा अपने निजी वाहन से यात्रा के लिये यात्रा के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकृति ली जाना अनिवार्य होगी । यात्रा के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगी ।

अतः समस्त महाविद्यालयों एवं अध्ययनशालाओं से अनुरोध है कि भविष्य में यात्रा से पूर्व अपने यहां होने वाली विभिन्न परीक्षाओं एवं मौखिकी हेतु बाहर से आने वाले शिक्षकों की यदि वे अपने निजी वाहन से यात्रा करते हैं तो उसकी परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी । बिना स्वीकृति के यात्रा देयक मान्य नहीं किये जावेंगे ।

आदेशानुसार



उपकुलसचिव (गोपनीय)

दिनांक- 31/1/2017

क्रमांक/गोपनीय/17/ 2052

प्रतिलिपि-

1. कुलपति एवं कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
2. उपकुलसचिव, लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन । की ओर सूचनार्थ ।

✓ 3. कम्प्यूटर विभाग वि. वि. उज्जैन 
सहायक कुलसचिव (गोपनीय)